<u>डिस्क्लेमर</u>

परामर्श पत्र संख्या 10/2022-23 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एआईएएल-अहमदाबाद/सीपी-III/2021-26/

परामर्श पत्र संख्या 10/2022-23

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India

सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एसवीपीआईए), अहमदाबाद (एएमडी) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 - 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 20 अक्तूबर, 2022

ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

प्राधिकरण को ज्ञात है कि वर्ष 2020 के प्रारंभ से पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी फैलने के कारण विमानन क्षेत्र अत्यधिक अस्त–व्यस्त हो गया था और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हाल ही की प्रवृत्तियों से यह ज्ञात होता है कि विश्व के अधिकांश भागों में हवाई यात्रा पर लगे प्रतिबंध हटा देने से वैश्विक विमानन बाजार में काफी तेजी से सुधार हो रहा है। प्राधिकरण इस क्षेत्र के परिवर्तनों का अच्छी तरह तरह से अवलोकन कर रहा है और इस परामर्श पत्र से संबंधित विभिन्न मामलों पर अपनी राय को अंतिम रूप देते समय इन्हें संज्ञान में रखा है।

2. प्राधिकरण ने वर्तमान में उपलब्ध समस्त जानकारी, इस मामले में हवाईअड्डा प्रचालकों, आईएटीए, एसीआई जैसे उद्योग निकायों और अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों के मत को ध्यान में रखकर तथा विभिन्न परिदृश्यों का विशलेषण करने के बाद कारोबार संबंधी मौजूदा परिदृश्य के संभावित परिवर्तनों और अनिश्चिताओं के कारण यातायात एवं विनियामक बिल्डिंग ब्लॉकों में आवश्यक समायोजन की समीक्षा की है। इसके अतिरिक्त डीजीसीए के दिनांक 08 मार्च, 2022 के परिपत्र संख्या 04/1/2020- आईआर द्वारा 28 मार्च, 2022 से वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री हवाई यात्रा को पुन: शुरू किए जाने और एकपक्षीय अस्थाई (एयर बबल) व्यवस्थाएं समाप्त करने के भारत सरकार के हाल के निर्णय को ध्यान में रखकर तथा यातायात बढ़ने की हाल की स्थितियों का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण का यह मत है कि अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात को क्रमश: वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 तक कोविड से पहले के स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। परंतु हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद ही इन समायोजनों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

4. सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एसवीपीआईए), अहमदाबाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रचालित किया गया था,जिसने वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख (सीओडी) से 50 वर्ष की अवधि के लिए हवाईअड्डे के प्रचालन, विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के लिए 14 फरवरी, 2020 को वर्तमान हवाईअड्डा प्रचालक के साथ रियायत करार किया था और सीओडी 07 नवम्बर, 2020 थी । द्वितीय नियंत्रण अवधि के अंतर्गत वित्त वर्ष 2017 से 06 नवम्बर, 2020 (सीओडी तक) की अवधि पूर्व-सीओडी अवधि मान ली गई और सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि सीओडी के बाद की अवधि मान ली गई है। इस टैरिफ निर्धारण कार्य में चूंकि दो (02) हवाईअड्डा प्रचालक अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सीओडी-पूर्व) और अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एआईएएल) (सीओडी के बाद), सम्मिलित हैं इसलिए इस परामर्श पत्र में स्पष्टता बनाए रखने के लिए प्राधिकरण ने कोविड पूर्व की अवधि के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए एएआई का और कोविड के बाद की अवधि के लिए अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए हवाईअड्डा प्रचालक का प्रयोग किया है। रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार एएआई और हवाईअड्डा प्रचालक ने निम्नानुसार अपना बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत कर दिया है:

- द्वितीय नियंत्रण अवधि में वित्त वर्ष 2017 से सीओडी तक की कोविड पूर्व की अवधि के लिए एएआई की ट्रू-अप की प्रस्तुति
- द्वितीय नियंत्रण अवधि में सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की कोविड के बाद की अवधि के लिए हवाईअड्डा प्रचालक की ट्रू-अप की प्रस्तुति।
- हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक की तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटीपी प्रस्तुत

5. इस परामर्श पत्र के लिए प्राधिकरण ने एएआई द्वारा एसवीपीआईए के लिए कोविड पूर्व की अवधि (वित्त वर्ष 2017 से 30 अक्तूबर,2020) के लिए प्रस्तुत लेखा-परीक्षित आंकड़ों और हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा 07 नवम्बर, 2020 (सीओडी) से 31 मार्च, 2021 तक के प्रस्तुत लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को मान लिया है।

6. प्राधिकरण ने यह परामर्श पत्र

i) भारत सरकार के वाणिज्यिक उड़ानों को पुन: शुरू करने और यात्री/एटीएम यातायात को बढ़ाने के निर्णय और

ii) टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में दोनों हवाईअड्डा प्रचालकों को सम्मिलित करने की पृष्ठभूमि में अपने प्रस्ताव पेश करने के लिए जारी किया है।

7. प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर सभी हितधारकों के लिखित साक्ष्य आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करेगा तथा हवाईअड्डा सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करेगा। प्राधिकरण इस बात पर बल देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया की समय-सीमा निश्चित है और इस कारण से हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियां/इनपुट इस परामर्शपत्र में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कर दें, इसके बाद प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट पर प्राधिकरण द्वारा विचार नही किया जाएगा।

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 20.10.2022 के परामर्श पत्र संख्या 10/2022-23 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां संलग्नक-7 में निर्धारित नमूने के अनुसार, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
ऐरा प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल : secretary@aera.gov.in, director-ps@aera.gov.in, rajan.gupta1@aera.gov.in,

हितधारकों की परापर्श बैठक (वर्चुअल)	:	09 नवम्बर, 2022
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	21 नवम्बर, 2022
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	02 दिसमबर, 2022

हितधारकों की टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

15 प्राधिकरण के निर्णयों का सार

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण संबंधी प्राधिकरण के निर्णयों का सार नीचे दिया गया है:

अध्याय 4 : वित्त वर्ष 2017 से प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख तक की अवधि के लिए एएआई का टूअप

4.15.1 पैरा 4.4.3 (तालिका 8) में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि (प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व) के लिए यात्री यातायात और एटीएम को मानना।

4.15.2 एसवीपीआईए के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि से प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख (सीओडी) तक परिसंपत्तियों के आबंटन संबंधी अध्ययन (अध्ययन का सार संलग्नक -1 में दिया गया है और अध्ययन परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है) द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार पूंजीगत परिवर्धन और परिसंपत्तियों के वैमानिक आबंटन को मानना।

4.15.3 द्वितीय नियंत्रण अवधि (प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व) के टू-अप के लिए पैरा 4.5.12 (तालिका 14) में दिए गए विवरण के अनुसार एएआई के लिए आरएबी को मानना।

4.15.4 पैरा 4.5.20 (तालिका 16) में दिए गए विवरण के अनुसार एआईएएल के लिए अनुमानित प्रारंभिक आरएबी को मानना।

4.15.5 द्वितीय नियंत्रण अवधि (प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व) के लिए एएआई के टू-अप के लिए पैरा 4.6.7 (तालिका 22) में दिए गए विवरण के अनुसार परिसंपत्तियों के संशोधित आबंटन को ध्यान में रखकर मूल्यह्रास का पुन: परिकलन करना।

4.15.6 द्वितीय नियंत्रण अवधि (प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व) के टू-अप के लिए पैरा 4.7.7 (तालिका 25) में दिए गए विवरण के अनुसार एफआरओआर को मानना।

4.15.7 द्वितीय नियंत्रण अवधि (प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व) के टू-अप के लिए भूमि की लागत पर प्रतिलाभ को न मानना।

4.15.8 एसवीपीआईए के लिए कार्यक्षम प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च संबंधी अध्ययन (अध्ययन का सार संलग्नक-II में दिया गया है और अध्ययन परिशिष्ट -2 के रूप में संलग्न है) द्वारा दिए गए सुझाव और द्वितीय नियंत्रण अवधि (प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व) के टू-अप के लिए पैरा 4.9.10 (तालिका 32) में दिए गए विवरण के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च और उनके आबंटन को मानना।

4.15.9 द्वितीय नियंत्रण अवधि (प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व) के टू-अप के लिए पैरा 4.10.9 (तालिका 38) में दिए गए विवरण के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

4.15.10 द्वितीय नियंत्रण अवधि (प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व) के टू-अप के लिए पैरा 4.11.6 (तालिका 42) में दिए गए विवरण के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना

4.15.11 द्वितीय नियंत्रण अवधि (प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व) के टू-अप के लिए पैरा 4.12.8 (तालिका 46) में दिए गए विवरण के अनुसार वैमानिक कर को मानना

4.15.12 पैरा 4.13.1 (तालिका 47) में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि (प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व) के लिए एएआई के टू-अप के लिए 7.54 करोड़ रूपए की कम वसूली (31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार) को मानना और इसे तृतीय नियंत्रण अवधि के एआरआर में पुन: समायोजित करना।

अध्याय 5 : प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख (सीओडी) से 31 मार्च, 2021 तक के लिए हवाईअड्डा प्रचालक का टू-अप

5.12.1 एसवीपीआईए के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि से प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख तक परिसंपत्तियों के आबंटन संबंधी अध्ययन (अध्ययन का सार संलग्नक -1 में दिया गया है और अध्ययन परिशिष्ट -1 के रूप में संलग्न है) द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार पूंजीगत परिवर्धन और परिसंपत्तियों के वैमानिक आबंटन को मानना।

5.12.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि (प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख के पश्चात) के लिए एआईएएल के टूअप के लिए पैरा 5.4.6 (तालिका 53) में दिए गए विवरण के अनुसार आरएबी को मानना।

5.12.3 द्वितीय नियंत्रण अवधि (प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख के पश्चात) के लिए एआईएएल के टू-अप के लिए पैरा 5.5.3 (तालिका 55) में दिए गए विवरण के अनुसार परिसंपत्तियों के संशोधित आबंटन को ध्यान में रखकर मूल्यह्रास का पुन: परिकलन करना।

5.12.4 द्वितीय नियंत्रण अवधि (प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख के पश्चात) के लिए एआईएएल के टू-अप के लिए पैरा 5.6.5 (तालिका 57) में दिए गए विवरण के अनुसार एफआरओआर को मानना।

5.12.5 एसवीपीआईए के लिए कार्यक्षम प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च संबंधी अध्ययन (अध्ययन का सार संलग्नक -II में दिया गया है और अध्ययन परिशिष्ट -2 के रूप में संलग्न है) द्वारा दिए गए सुझाव और पैरा 5.7.9 (तालिका 60) में दिए गए विवरण के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च और उनके आबंटन को मानना।

5.12.6 द्वितीय नियंत्रण अवधि (प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख के पश्चात) के लिए एआईएएल के टू-अप के लिए पैरा 5.8.6 (तालिका 64) में दिए गए विवरण के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

5.12.7 द्वितीय नियंत्रण अवधि (प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख के पश्चात) के लिए एआईएएल के टू-अप के लिए पैरा 5.9.4 (तालिका 66) में दिए गए विवरण के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना

5.12.8 द्वितीय नियंत्रण अवधि (प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख के पश्चात) के लिए एआईएएल के टू-अप के लिए पैरा 5.10.2 में दिए गए विवरण के अनुसार वैमानिक कर को मानना

5.12.9 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए पैरा 5.11.1 (तालिका 67) 2 में दिए गए विवरण के अनुसार एआरआर को मानना और सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए हवाईअड्डा प्रचालक के टू-अप के लिए 39.68 करोड़ रूपए (31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार) की कम वसूली को मानना तथा इसे तृतीय नियंत्रण अवधि के एआरआर में पुन: समायोजित करना।

अध्याय 6: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

6.3.1 एसवीपीआईए के लिए पैरा 6.2.17 (तालिका 76) में दिए गए विवरण के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एटीएम, यात्री यातायात और कार्गो यातायात को मानना।

6.3.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (एटीएम, यात्री और कार्गो) को टूअप करना।

अध्याय 7: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) और मूल्यह्रास

7.10.1 आईएमजी मानदंड के अनुरूप और पैरा 7.5.3 में यथा उल्लिखित अन्य समान हवाईअड्डों के लिए अनुमोदन किए अनुसार संशोधित टर्मिनल क्षेत्र अनुपात 90:10 (वैमानिक : गैर-वैमानिक) को मानना।

7.10.2 पैरा 7.3.178 और 7.3.179 में उल्लेख किए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान पूंजीगत परिवर्धनों पर वित्तीय भत्ते की अनुमति न देना लेकिन आईडीसी की अनुमति देना।

7.10.3 पैरा 7.5.8 (तालिका 157) में बताए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक पूंजीगत व्यय के पूंजीकरण को मानना।

7.10.4 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पैरा संख्या 7.3.185 (तालिका 155) में उल्लेख किए अनुसार पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के दौरान इसकी जांच की जाएगी।

7.10.5 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों, लागत कार्यक्षमता और औचित्य के आधार पर वैमानिक पूंजीगत व्यय को टू-अप करना।

7.10.6 पैरा 7.7.6 (तालिका 162) के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को अंगीकार करना।

7.10.7 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को टू-अप करना।

7.10.8 एसवीपीआईए के लिए पैरा 7.9.1 (तालिका 164) के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

7.10.9 केन्दीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय 5 के अनुसार निवेश कर जमा के लेखांकन की जांच करना और चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना (पैरा 7.3.182 में स्पष्ट किए अनुसार)।

7.10.10 एआईएएल द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय और परिसंपत्ति आबंटन की कार्यक्षमता तथा औचित्य का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र अध्ययन करना एवं चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय यथावश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करना (देखें: पैरा 7.5.9) ।

7.10.11 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय की वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 8 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर)

8.3.1 सीएपीएम सूत्र के अनुसार 15.18 % पर ईक्विटी की लागत को मानना।

8.3.2 सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले अन्य हवाईअड्डों के मामले में विचार किए जा रहे लक्ष्य प्राप्ति अनुपात के अनुरूप 48:52 के ईक्विटी (प्राप्ति) अनुपात के काल्पनिक ऋण को मानना।

8.3.3 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय दक्षता और औचित्य के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 9% की ऋण की लागत को मानना और ऋण की लागत को टू-अप करना।

8.3.4 ऊपर उल्लिखित ईक्विटी की लागत, ऋण की लागत और प्राप्ति अनुपात के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 12.21% के एफआरओआर को मानना।

अध्याय 9 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

9.3.1 वास्तविक आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2022 में 12.97% और भारतीय रिजर्व बैंक के वृहत आर्थिक संकेतकों संबंधी व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्त्ताओं के 78वें सर्वेक्षण में दिए अनुसार मध्यम डब्ल्यूपीआई पूर्वानुमानों के आधार पर वित्त वर्ष 2023 में 11.1% तथा वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2026 तक 5.1% डब्ल्यूपीआई मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 10: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

10.3.1 एआईएएल के लिए पैरा 10.2.116 (तालिका 208) के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन खर्च, ईंधन प्रचालन खर्च और कार्गो प्रचालन खर्च सहित कुल वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

10.3.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि में टू-अप के समय औचित्य और दक्षता की शर्त पर तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा वहन किए गए कुल वास्तविक वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

अध्याय 11: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

11.3.1 एआईएएल के लिए पैरा 11.2.15 (तालिका 215) के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

11.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय पैरा 11.2.14 में स्पष्ट किए अनुसार वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

अध्याय 12 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

12.3.1 एआईएएल के लिए पैरा 12.2.8 (तालिका 217) के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

12.3.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों को उपयुक्त ढंग से ध्यान में रखकर वैमानिक कर राशि को टू-अप करना।

अध्याय 13: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

13.3.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए एआईएएल की सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी समायोजन न मानना।

अध्याय 14 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

14.3.1 एआईएएल के लिए पैरा 14.2.8 (तालिका 220) के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और वाईपीपी को मानना।

14.3.2 एआईएएल को यह निदेश देना कि वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (टैरिफ दर कार्ड) 31 अक्तूबर, 2022 को या इससे पूर्व प्रस्तुत करें, जिसे हितधारकों के परामर्श के लिए पेश किया जाएगा।

16 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

16.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 15–प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतदद्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

16.1.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

16.1.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 21 नवम्बर, 2022 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048

(अध्यक्ष)